1	2	3
	आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित

29.10.2018

न्यायालय अन्तर्गत भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता ,राजमहल।
नामांतरण अपील वाद सं0– 12/17–18
रूकसाना बीबी
बनाम
अंचल अधिकारी, राजमहल एवं अन्य
आदेश

यह नामांतरण अपील वाद आवेदन आवेदिका रूकसाना बीबी, पिता– स्व0 खलील शेख, पति– सुलतान शेख, सा0– मस्तानगढ़, लखीपुर, थाना– राजमहल, जिला– साहेबगंज के आवेदन पर अंचल अधिकारी, राजमहल के नामांतरण वाद सं0 536/2017 में दिनांक 25.06.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर की गई है। साथ ही कालक्षंति आवेदन दाखिल की गयी है। जिसे स्वीकृत कर दिनांक 23.12.2017 को वाद की कार्रवाई प्रारंभ की गई है।

इस नामांतरण अपील वाद में प्रश्नगत भूमि की विवरणी:–

मौजा	खाता सं0	दाग सं0	रकवा
कासिमगंज	04/10	225	00–06–07½
मैना तालाब	49/19	04	00–00–09½
	49/19/1	04	00–01–19

उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अपीलार्थी की ओर से लिखित बहस एवं सूचीबद्ध कागजात दाखिल की गयी।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का संक्षिप्त में कहना है कि मौजा कासिमगंज के खाता सं0 04/10 दाग नं0– 225, रकवा 06 कट्ठा 07½ धूर एवं मौजा मैना तालाब के खाता सं0 49/19, दाग नं0– 04, रकवा 09½ धूर तथा खाता सं0 49/19/1, दाग नं0– 04, रकवा 01 कट्ठा 19 धूर जमीन के संबंध में उत्तरवादी के द्वारा वर्ष 2017 में नामांतरण वाद दायर किया गया था। अपीलार्थी की ओर से दिनांक 29.10.2018 को लिखित बहस दाखिल की गयी है। उन्होंने अपने लिखित बहस के माध्यम से सूचित किया है कि बिना सर जमीन जाँच किये, बिना सभी दखलकारों/हिस्सेदारों, पक्षकारों, उत्तराधिकारियों को नोटिस किये बिना, संबंधित जमीन के कागजातो का अध्ययन किये, बिना चौहद्दीदारों को नोटिस किये बिना ही नामांतरण आदेश पारित किये हैं। साथ ही इनके द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि अपीलवाद में दर्शायें गये वंशावली को उत्तरवादी सं0 04, 05, 06 एवं 07 सहर्ष स्वीकार किये है कि वे लोग 10 भाई बहन हैं। फलस्वरूप क्रम सं0 01 अपीलार्थी रूकसाना बीबी एवं अपीलार्थी क्रम सं0 02 हासी बीबी को उनके पिता खलील शेख ने दिनांक 28.08.1995 को ही अपने जीवनकाल में क्रमशः मौजा कासिमगंज के जमाबंदी नं0– 04/10, दाग नं0– 225 एवं मौजा मैनातालाब के 49/19, दाग नं0– 04, के आंशिक

Scanned with CamScanner

रकवा 16 धूर तथा मौजा कासिमगंज खाता नं0– 04/10 दाग नं0– 225 रकवा 120 वर्ग फीट (12 फीट लम्बा एवं 10 फीट चौड़ा) जमीन हस्तांतरित कर दखल समर्पित कर दिये थे। जिसपर दोनों उपरोक्त अपीलार्थी का भोग–दखल, स्वामित्व अधिकारी बनाई हुयी है। साथ ही अपीलार्थी के द्वारा लिखित बहस के माध्यम से यह भी सूचित किया गया हे कि उत्तरवादीगण सं0 04, 05, 06 एवं 07 ने स्व0 खलील शेख के वारिसों की सही वंशावली अंचल अधिकारी, राजमहल से छिपा कर एवं फर्जी बंटननामा दस्तावेज सं0 249/ दिनांक 20.08.2016 के आधार पर अपने नामों से नामांतरण करवा लिये हैं। जो बंटननामा का कागजात बिलकुल अवैध है। साथ ही उत्तरवादी गण के द्वारा बंटननामा जो न्यायालय में दो आधार लिये हैं।

अतः अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का प्रार्थना है कि अंचल अधिकारी, राजमहल के नामांतरण वाद सं0– 536/17 में दिनांक 25.06.2017 के पारित आदेश को अपास्त (set-a-side) करने का अनुरोध किये हैं।

आज उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 29.10.2018 को वाद से संबंधित सूचीबद्ध कागजात दाखिल किया गया है। दाखिल कागजात के रूप में दस्तावेज सं0 239 दिनांक 20.10.1995 में मो0 खलील पिता– स्व0 अब्दुल वाहिद के द्वारा मौजा कासिमगंज नं0 87, जमाबंदी नं0– 04/10/1 एवं 04/10, दाग नं0– 225 कुल रकवा 08 कट्ठा जमीन को अपने पुत्रों के बीच बराबर–बराबर हिस्से एवं अपनी पत्नी हारून निशा को मौजा मैना तालाब जमाबंदी नं0– 49/19/1 दाग नं0– 04 में रकवा 04 कट्ठा 04½ धूर जमीन देने का उल्लेख उक्त बंटननामा दस्तावेज में है। उक्त बंटननामा में यह भी स्पष्ट है कि मौजा मैना तालाब जमाबंदी नं0– 49/19/1 दाग नं0– 04 में रकवा 04 कट्ठा 04½ धूर जमीन में अवस्थित एक पक्का कुआँ एवं दो शौचालय कमरा का उपभोग मो0 खलील के चारों पुत्र एवं उनकी अपनी पत्नी संयुक्त रूप से करेंगे। साथ ही उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक और बंटननामा दस्तावेज सं0 249/ दिनांक 20.08.2016 दाखिल किया गया है। जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि मो0 खलील के द्वारा अपने चारों पुत्रों क्रमशः अतिकुल रहमान को मौजा कासिमगंज, जमाबंदी नं0– 04/10 से कुल रकवा 02 कट्ठा 01 धूर, अबुल फजल को जमाबंदी नं0– 04/10 से कुल रकवा 02 कट्ठा 03 धूर, रफीकुल ठसलाम को मौजा कासिमगंज एवं मैना तालाब से कुल रकवा 02 कट्ठा 05 धूर एवं मोईनुल इस्लाम को मौजा कासिमगंज एवं मैनातालाब से कुल रकवा 02 कट्ठा 04 धूर जमीन का बंटवारा किया गया है। साथ ही मौजा कासिमगंज एवं मैनातालाब में कुल रकवा 02 कट्ठा 08 धूर जमीन सभी भाईयों के आवागमन के लिए रास्ता व गली छोडा गया है।

अतः उत्तरवादी की प्रार्थना है कि अंचल अधिकारी, राजमहल के नामांतरण वाद सं0 536/17, दिनांक 25.06.2017 के आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलार्थी द्वारा दायर नामांतरण अपील आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किये हैं।

Scanned with CamScanner

उभय पक्षो द्वारा दाखिल कागजात तथा LCR के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि Concerned Parties को अंचल अधिकारी द्वारा जारी नोटिश की जानकारी नही थी। Bihar Tentants Holding (Maintenance and Record) Act 1973 की धारा14(2) मे यह स्पष्ट उल्लेख है कि सभी पक्षों को नोटिश निर्गत किया जाना अनिवार्य है। प्रथम पक्ष ने जो कागजात दाखिल किये हैं उन्हें यह न्यायालय दखल के संबंध मे द्वितीय पक्ष के दावे पर संदेह करने के लिए पर्याप्त मानती है।

उपरोक्त तमाम स्थितियों एवं परिस्थितियों पर सम्यक विचारोपरांत यह न्यायालय अंचल अधिकारी के वाद सं0 536/17, दिनांक 25.06.2017 में पारित आदेश को अपास्त करते हुए उन्हें यह निदेश देती है कि पुनः दावा आमत्रित करते हुए नामांतरण पर विचार करें। साथ ही उन्हे यह भी सलाह दी जाती है कि स्वत्व/अधिकार से जुडे जटिल प्रश्नों पर टिप्पणी से बचें।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
राजमहल

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
राजमहल।

Scanned with CamScanner